

We promote N.H.M., Run by Govt. of India



भारतीय ग्रामीण रोग नियंत्रक संस्थान

We Promote Tele Health, Patient and RMP through Health Worker at a Sub Center or peripheral Center & Consultation between Patient and RMP through a Care Giver
Under the Guidelines of Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette, and Ethics) Regulations 2020 (Telemedicine) Passed by the Govt. of India.

ग्रामीण मधुमेह एवं रक्तचाप नियंत्रण उपकेंद्र एवं रूरल टेलीमेडिसिन ई-क्लिनिक सब सेंटर के संचालन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ



www.eclinicsubcenter.in



7754810003, 7754810004



हेल्थ एंड वेलनेस सब सेंटर केवल इलाज का स्थान नहीं है बल्कि रोकथाम देखभाल और स्वस्थ जीवन शैली का केंद्र है, जो ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाता है। प्राथमिक स्तर पर इलाज मिलने से गंभीर बीमारी बनने से पहले नियंत्रित हो जाती हैं। जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है।

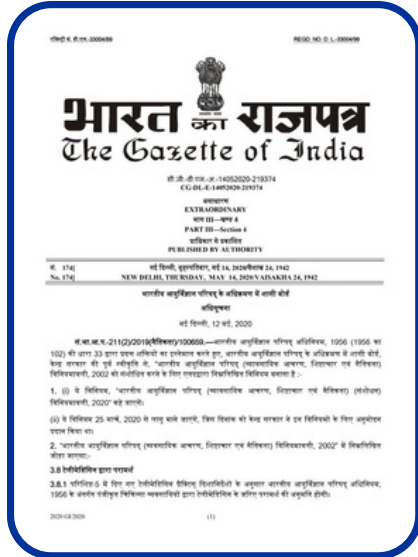
नोट- ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी/प्राथमिक उपचारक के रूप में कार्य करने वाले डिप्लोमा/सर्टिफिकेट धारक एवं अनुभवी लोगो को वरीयता दी जायेगी।

पता 101/C (ग्रामीण स्वास्थ्य भवन) संजय गाँधीपुरम, निकट लेखराज मेट्रो स्टेशन (अयोध्या रोड) लखनऊ (उ.प्र.)-226016

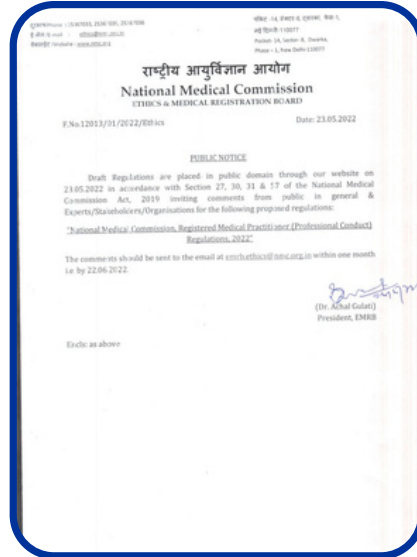
फोन : 0522-4232538 मो0: 7754810003, 7754810004

ई-मेल: irtchealthservice@gmail.com, वेबसाइट: www.eclinicsubcenter.in

ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी (H.W. Nurse, ANM, Mid Level Health Practitioner, Allied Health Professional-Physician Assistant) द्वारा संचालित हेल्थ एण्ड वेलनेस सब सेन्टर (Patient and RMP through Health Worker at a Sub Center or Peripheral Center एवं Consultation Between Patient and RMP Through a Care Giver) के संचालन हेतु आवश्यक जानकारीयें



(भारत सरकार द्वारा जारी टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन 2020)



(टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन 2022) by N.M.C. Public Notice)



(भारत सरकार द्वारा जारी गजट 2023)

भारत सरकार द्वारा टेलीमेडिसिन को दी गयी कानूनी मान्यता के बारे में-

भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण / दुर्गम क्षेत्रों में निवास कर रहे आम लोगों के इलाज कराने हेतु पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (RMP) एवं उपलब्ध संसाधन आबादी जरूरत के हिसाब से कम होने के कारण होने वाली कठिनाइयों, संचारी रोग एवं गैर संचारी रोग का प्राथमिक स्तर पर नियंत्रण एवं शहरी चिकित्सालयों में बढ़ती भीड़ से उत्पन्न समस्याओं को कम करने एवं पंजीकृत चिकित्सक द्वारा ग्रामीण / दुर्गम क्षेत्रों में निवास कर रहे जरूरत मंद लोगों के बेहतर इलाज करने हेतु भारत सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (RMP) को सम्पूर्ण भारत में टेलीमेडिसिन (दूर चिकित्सा) के माध्यम से इलाज करने हेतु Indian Medical Council Act 1956 को अधिनियन का इस्तेमाल करते हुए 25 मार्च 2020 को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। जिसे 12 मई 2020 को टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन 2020 को भारत का राजपत्र (The Gazette of India) CG-DL-E-14052020-219374 में जारी किया गया, एवं राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोग (National Medical Commission) N.M.C. द्वारा 23 मई 2022 को Public Notice एवं 02 अगस्त, 2023 को जारी भारत का राजपत्र (The Gazette of India) CG-DL-E-09082023-247951 के अनुसार पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (RMP) को (1) Patient and RMP (2) Care Giver and RMP (3) Patient and RMP through Health Worker at a Sub Center or Peripheral Center (4) RMP and another RMP/Specialist (5) Telemedicine Triage and Covid Care for Patients इस रूपरेखा (Framework) के अनुसार ऑडियो कॉल, विडियो कॉल एवं टैक्स्ट मैसेज के माध्यम से इलाज करने हेतु गाइडलाइन जारी किया गया।

ग्रामीण मधुमेह एवं रक्तचाप नियंत्रण उपकेंद्र

Tele Consultation Between Patient and RMP Through a Care Giver

योग्यता - Multi Purpose Health Worker, CMS & ED, First Aid & Patient Care, GDA, EMT, RDCP

या

ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत प्राथमिक उपचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं अनुभवी लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मी का उपकेन्द्र के लाभ

1. जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग (Screening) 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की नियमित BP जाँच
2. नियमित रूप से Random Blood Sugar / Fasting Sugar जाँच
3. बीमारी का प्राथमिक स्तर पर पहचान कर उचित खानपान एवं जीवन शैली के बारे में परामर्श देना
4. पंजीकरण एवं रिकॉर्ड रखना
5. पहचाने गए मरीजों रोगी पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण करना
6. नियमित जाँच एवं फॉलो-अप
7. दवा लेने की नियमितता जाँचना
8. दुष्प्रभावों (Side effects) पर नज़र
9. टेली चिकित्सक द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार दवा उपलब्ध कराना
10. दवा की मात्रा व समय समझाना
11. दवा खत्म होने से पहले पुनः उपलब्धता सुनिश्चित करना
12. जीवनशैली एवं आहार परामर्श (Lifestyle and food Counselling)
13. स्वास्थ्य शिक्षा एवं जागरूकता
14. गाँव स्तर पर बैठकें
15. Diabetes/BP के लक्षण, खतरे व बचाव की जानकारी
16. रेफरल सेवा (Referral Services)
17. रेफरल के बाद फॉलो-अप
18. घरेलू भ्रमण (Home Visit)
19. राष्ट्रीय कार्यक्रम से समन्वय

Certificate Course in Prevention & Control of Diabetes and Hypertension at Primary Level with C.P.R, Certificate in Tele Consultation – Three Months संस्थान द्वारा निःशुल्क कराया जायेगा

3000 रु . रजिस्ट्रेशन शुल्क एक बार में जमा करना होगा ।

रूरल टेलीमेडिसिन ई-क्लिनिक सब सेंटर (Health & Wellness Sub Center) का प्रमुख कार्य एवं उद्देश्य Patient and RMP through Health Worker at a Sub Center or Peripheral Center

योग्यता : - Nurse, ANM, Mid Level Health Practitioner (B.Sc. Nursing) Allied Health Professional-Physician Assistant

प्रमुख कार्य

- ग्रामीण क्षेत्र में सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना।
- अचानक बीमार अथवा दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति की प्राणरक्षा शारीरिक तकलीफों एवं क्षतियों को कम करने हेतु प्राथमिक उपचार करना।
- मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना।
- गैर संचारी रोग (NCDs) जैसे डायबिटीज, रक्तचाप, थायरॉइड, PCOD (पॉलिस्टिक ओवेरियन डिस्सीज), लीवर, हार्ट, किडनी, आँख से सम्बंधित समस्या, मानसिक समस्या, कैंसर गांठें, मोटापा, गठिया, कुपोषण आदि बिमारियों की प्रारम्भिक स्तर पर पहचान, रोकथाम, बचाव व नियंत्रण, तथा उपचारक (टेली परामर्श के अनुसार)
- संचारी रोग : मलेरिया टायफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, हैजा, भोजन विषाक्तता, निमोनिया, सर्दी जुखाम, टी.बी., पीलिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फोड़ा-फुंसी, आदि बीमारियों का प्राथमिक स्तर पर पहचान, बचाव व नियंत्रण, तथा उपचारक (टेली परामर्श के अनुसार)
- स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना
- रेफरल सिस्टम के माध्यम से रोगी को उच्च स्वास्थ्य केन्द्रों पर भेजने का प्रबंध करना।
- गर्भवती महिला, नवजात शिशु की देखभाल एवं कुपोषण की पहचान
- गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करने के बारे में।
- बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का नियमित टीकाकरण के बारे में।
- मानसिक स्वास्थ्य एवं वृद्धजन की देखभाल।
- आमजन को OTC (Over The Counter) दवाओं के उपयोग में सावधानियाँ रखने हेतु जागरूक करना।
- कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं की पहचान।
- संतुलित आहार लेने हेतु परामर्श
- आयरन कैल्शियम, फोलिक एसिड, कृमिनाशक दवाओं का उपयोग।
- योगा एवं व्यायाम को बढ़ावा।
- तम्बाकू, बीड़ी, खैनी, शराब, सिगरेट, के सेवन से होने वाली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान एवं उत्पन्न होने वाले विभिन्न स्वास्थ्य सम्बंधित समस्याओं के बारे में अवगत कराना।
- बिमारियों की प्राथमिक स्तर पर पहचान- CBC, LFT, KFT, Malaria, Typhoid, Lipid Profile, Urine Test, Stool Test, Sputum Test, Thyroid Profile (TSH), Sugar Test आदि आवश्यक जांचों हेतु सैंपल कलेक्शन करके जाँच के लिए भेजना अथवा परामर्श देना।
- आवश्यकता पड़ने पर टेलीचिकित्सक से परामर्श करा कर इलाज में सहयोग करना -अथवा उच्च सुविधायुक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगी को बेहतर इलाज कराने हेतु परामर्श देना।

• (Health and Wellness Sub Center) पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक 105 दवाओं को रखना होता है।

• सब सेंटर पर रोगी पंजीकरण रजिस्टर, सहमती पत्र, रोगी स्वास्थ्य परीक्षण/रेफरल प्रपत्र रखना एवं साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

• कुछ जरूरी उपकरण रखना अनिवार्य हैं, जैसे स्टेथोस्कोप, डिजिटल BP मशीन, मनुअल BP मशीन, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, BMI चार्ट, अन्य उपकरण।

6500 रु. रजिस्ट्रेशन शुल्क एक बार में जमा करना होगा।